न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि0, उन्नाव।
प्रकीर्ण वाद संख्या 785/2019
अन्तिम रिपोर्ट संख्या 49/2018
वादिनी श्रीमती कलावती
थाना अचलगंज जिला उन्नाव।

दिनांक 12.12.2024:–

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार पर कोई उपस्थित नही है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत करते हुए उसे स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रतिरोध याचिका दाखिल करने हेतु दिनांक 25.09.2019 को समय हेतु याचना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा विगत तिथियो से लगातार अनुपस्थित रही है। वादिनी के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि उसे अन्तिम आख्या के विरूद्व कुछ नही कहना है। अन्तिम आख्या नियमानुसार विवेचना कर प्रस्तुत की गयी है। मामले के तथ्य व परिस्थितियो मे अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिरोध याचिका तद्नुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,उन्नाव।